



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166655

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7776

सन् 2026

सन्न् मिश्रा

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	:	अरुण कुमार सिंह
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीमती मंजू यादव को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 46 सन् 2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 351(2), 74 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 के अन्तर्गत, थाना- फ़ज़लगंज, ज़िला- कानपुर नगर में आवेदक की ओर से दायर की गई है। इसमें उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ़्तारी की आशंका है।
- प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि सूचनाकर्ता को दिनांक 24.07.2026 को नोटिस भेजा जा चुका है। हालाँकि, आज जब प्रकरण की सुनवाई के लिए पुकार हुई, तो सूचनाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी है। पांच नामजद अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़िताओं के बयानों में भी आवेदक के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। एक पीड़ित के बयान में आवेदक पर जबरदस्ती रंग लगाने का आरोप लगाया गया है, और उस बयान में भी आवेदक पर यौन उत्पीड़न का कोई आरोप लगाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सह-अभियुक्त आदित्य और प्रतीक के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए गए थे, जिन्हें विवेचना के दौरान बरी कर दिया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आवेदक को छोड़कर, बाकी सभी नामजद अभियुक्तों को विवेचना के दौरान बरी कर दिया गया है।

6. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और अपर शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश अधिवक्तागण ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है। हालाँकि, वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-अभियुक्त- प्रतीक सागर, आदित्य सागर, प्रिंस सविता और छोटू सविता - को विवेचना के दौरान बरी कर दिया गया था। वे इस बात से भी इनकार नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

8. आरोप-पत्र को देखने से पता चलता है कि आरोप-पत्र सिर्फ आवेदक के खिलाफ दायर की गई है और नामजद अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। आवेदक पर लगाए गए आरोपों के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम सज़ा सात साल से ज़्यादा नहीं है। आवेदक से अब हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

9. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

10. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

11. यदि आवेदक - **सन्नू मिश्रा** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित थाने के थाना अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगा।
- ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

12. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

10 अगस्त, 2026

सचिन